


न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल गता लियर सर्किल कोर्ट रीता,
R. 5275-4/16 जिला-रीता १०००१-



- शुद्ध प्रमाण! 1- बिहारी पिता रामनाथ साकेत उम्र 53 साल, पेशा मजदूरी,
दारी लोका धारा 2- सुमेश्वर पिता श्री रामनिहोर, उम्र 50 साल, पेशा मजदूरी,
पेसा 22-6-16 3- मंगल पिता श्री सूर्यदीन, उम्र 70 साल, पेशा मजदूरी,
22-6-16 4- पूशू पिता श्री ब्रिजाम उम्र 65 साल, पेशा मजदूरी,
कलक आफ कोर्ट राजस्व मण्डल गता लियर सर्किल कोर्ट राजेन्द्र पिता स्वश्री ब्रिजाम कोल उम्र 35 साल, पेशा मजदूरी,
(सर्किल कोर्ट) रोवा 5- श्रीमती सुकबरिया कोल पत्नी श्री ब्रिजाम कोल, उम्र 65 साल,
6- श्रीमती आशा पत्नी स्वश्री राजाराम साकेत उम्र 45 साल,
7- धनश्याम प्रसाद पिता श्री राजाराम उम्र 25 साल,
8- कैलाश पिता स्वश्री राजाराम उम्र 22 साल,
9- प्रकाश पिता स्वश्री राजाराम उम्र 20 साल,
10- प्रेमलाल पिता श्री परमेश्वर उम्र 28 साल, पेशा मजदूरी,
-----सभी निवासी ग्राम खाम्हा पोस्ट आफिस लोही, तहसील गुद,
धाना सिटी कोतवाली, बहरी जिला रीता १०००१-

---निगरानी कार्यगण

बिस्व

- 1- जगदीश पिता श्री बैजनाथ चौबे, उम्र 70 साल,
2- राममणि पिता सूर्यभान चौबे, उम्र 67 साल,
3- श्री निवास पिता सूर्यभान चौबे, उम्र 62 साल,
4- रामलाल पिता सूर्यभान चौबे, उम्र 57 साल,
5- बाबूलाल पिता सूर्यभान चौबे, उम्र 52 साल,
-----सभी निवासी ग्राम खाम्हा, पोस्ट आफिस लोही, धाना सिटी
कोतवाली, तहसील गुद, जिला रीता १०००१-

---अनालेदक्षण

को कटर रीता जिला रीता के द्वारा प्रकरण क्रमांक-
25/अ-19/निगरानी/2004-2005 में पारित आदेश
दिनांक 14/6/2016 के बिस्व निगरानी याचिका-


(133)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग0 / 5275-दो / 2016

जिला-रीवा

बिहारी साकेत वगैरः / जगदीश चौबे वगैरः

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अवधेश सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 25/अ-19/निगरानी/2004-05 में पारित आदेश दिनांक 14.06.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 04.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">  (बी.एम.शामी), सदस्य </p>	